भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1539
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947(शक) को दिया जाना है)

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी

1539. श्रीमती महुआ मोइत्राः
डॉ. काकोली घोष दस्तीदारः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वर्ष 2014 से देश में राज्यवार और वर्षवार की गई छापेमारी की संख्या छापेमारी वाले मामलों की सूची सहित, कितनी है;
(ख) 1 जून 2014 से 15 जनवरी 2026 के बीच पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों की वर्षवार संख्या कितनी है;
(ग) इन मामलों में ईडी द्वारा वर्ष 2014 से दर्ज की गई गिरफ्तारियों, दोषसिद्धि और बरी होने की राज्यवार, वर्षवार और मामलेवार संख्या कितनी है; और
(घ) वर्ष 2014 से ईडी द्वारा देशभर में कितने मामले दायर किए गए हैं और लंबित या विचाराधीन या जांच के अधीन मामलों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है और ये कितने समय से लंबित हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पीएमएलए, 2002 के उपबंधों के तहत 11,353 तलाशियां की गई हैं। इन तलाशियों का राज्य-वार डेटा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नहीं रखा जाता है। ईडी द्वारा की गई इन तलाशियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करके 6508 मामलों में जांच शुरू की है। दर्ज की गई ईसीआईआर का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के उपबंधों के तहत 1135 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इसके अलावा, दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान, पीएमएलए की विशेष अदालतों ने धनशोधन संबंधी 58 मामलों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय दिए हैं, जिनमें से 55 मामलों में 123 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दोषसिद्धि आदेश पारित किए गए हैं। कुछ ही मामले ऐसे हैं जिनमें प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर विचार/निर्णय किए बिना, पूर्वनिर्धारित अपराध के मामले में दोषमुक्ति/रिहाई या अन्य कारणों से आरोपियों को बरी/मुक्त कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि आदेश पारित करने में सफल हुए है उनकी संख्या और दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। राज्य-वार डेटा का रखरखाव नहीं किया गया है।

(घ) दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2025 तक, ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के उपबंधों के तहत 6,508 प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की हैं। इसी अवधि के दौरान, 1,876 मामलों में विशेष न्यायालयों (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की गई हैं, जिसमें अभियुक्त व्यक्तियों को धनशोधन अपराधों के लिए दोषी ठहराने और इसमें शामिल अपराध की आय को जब्त करने की प्रार्थना की गई है। इसके अलावा, इन मामलों में, विशेष न्यायालयों, पीएमएलए के समक्ष 589 पूरक अभियोजन शिकायतें भी दायर की गई हैं। अभियोजन शिकायतों और पूरक अभियोजन शिकायतों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का संख्या 23) की धारा 44(1)(ख) में दिनांक 01.08.2019 से परंतुक जोड़कर, पीएमएलए में किए गए संशोधन में, निदेशालय द्वारा विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष ऐसे मामलों में समापन रिपोर्ट फाइल किया जाना अनिवार्य है, जहां धनशोधन का कोई अपराध नहीं बनता। तब से, निदेशालय ने 93 मामलों में संबंधित विशेष अदालत के समक्ष समापन रिपोर्ट दाखिल की है, जहां विभिन्न कारणों जैसे कि अनुसूची अपराध मामले का बंद होना, ऐसे मामले जहां पूर्वनिर्धारित अपराध अदालत को पीएमएलए के तहत परिभाषित अनुसूची अपराध से संबंधित कोई अपराध नहीं मिलता है, पूर्वनिर्धारित अपराध मामले को रद्द करना आदि के कारण धन शोधन का कोई अपराध नहीं बनता है। उपरोक्त संशोधन से पूर्व (यानी 01.08.2019 से पहले), ऐसे मामले जहां धनशोधन का कोई अपराध नहीं बनता था, क्षेत्रीय विशेष निदेशक, प्रवर्तन की पूर्व स्वीकृति के साथ बंद कर दिए जाते थे। इस प्रकार, पीएमएलए की शुरुआत अर्थात दिनांक 01.07.2005 से 31.07.2019 तक, 1,185 मामले बंद किए गए।

******

अनुलग्नक

मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	की गई तलाशियों की संख्या	दर्ज ईसीआईआर की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दायर की गई अभियोजन शिकायतें + दायर की गईं पूरक अभियोजन शिकायतों की संख्या	पारित दोषसिद्धि आदेशों की संख्या	दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की संख्या
2014-15	46	181	17	64+4	0	0
2015-16	83	110	31	57+11	0	0
2016-17	170	187	29	99+11	2	2
2017-18	367	163	40	92+19	2	2
2018-19	205	152	26	234+59	4	8
2019-20	324	557	37	55+28	4	7
2020-21	535	996	79	140+39	1	1
2021-22	751	1116	105	128+46	3	4
2022-23	1441	953	165	172+61	9	24
2023-24	2600	698	272	281+100	13	19
2024-25	2317	775	214	333+124	9	38
2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)	2514	620	120	221+87	8	18
कुल	**11353**	**6508**	**1135**	**1876+589**	**55**	**123**

* राज्य-वार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।